



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

कार्तिक 6, मंगलवार, शाके 1936—अक्टूबर 28, 2014  
*Kartika 6, Tuesday Saka 1936—October 28, 2014*

भाग 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2014

संख्या प.23(2)चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2014:— गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-07-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित), जिसके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम संख्या 2 (महिला संगठन से सम्बन्धित विख्यात महिला कार्यकर्ता) पर उल्लेखित समुचित प्राधिकारी के सदस्य के रूप "डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर सहायक स्टेट कमिश्नर, राजस्थान राज्य, भारत स्काउट व गार्ड्स, राज्य मुख्यालय जयपुर" को मनोनीत करती है।

उक्त सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
चुन्नीलाल कायल,  
संयुक्त शासन साचेव,  
चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग।

365

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।